भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2079

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जाँच

2079. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री राहुल सिंह लोधी:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री बलभद्र माझी:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री महेश कश्यप:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की सभी जनजातीय बहुल विकास खंडों में सिकल सेल एनीमिया की सार्वभौमिक जाँच सुनिश्चित करने के लिए रणनीति क्या है और जाँच के परिणामों को, विशेषकर ओडिशा में, एबीडीएम प्लेटफ़ॉर्म के साथ किस प्रकार एकीकृत किया जा रहा है;

(ख) देश में मलेरिया, कुपोषण और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए ओडिशा के दूरस्थ पीवीटीजी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ विशिष्ट जनजातीय स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में दीर्घकालिक कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सीधी संसदीय क्षेत्र सहित ओडिशा के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए पारंपरिक चिकित्सकों को औपचारिक सहायता प्रदान कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दुर्गम जनजातीय बस्तियों में अंतिम छोर तक सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीएईएम) के तहत, प्रभावित 17 जनजातीय राज्यों, जिनमें ओडिशा के 13 जनजातीय जिलों के 154 ब्लॉक शामिल हैं, के जिला अस्पतालों (डीएच) से लेकर

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर तक के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 0-40 वर्ष के लक्षित आयु वर्ग के व्यक्तियों की सिकल सेल रोग की जांच की जाती है। सिकल सेल रोग (एससीडी) पोर्टल के अनुसार, दिनांक 30.11.2025 तक देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 6.57 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है, जिनमें ओडिशा के 56.46 लाख व्यक्तियों की जांच शामिल है।

(ख) और (ग): आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) (पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र) के माध्यम से, जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का सुदृढ़ीकरण करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (सीपीएचसी) प्रदान की जाती है। इसमें संक्रामक रोगों, गैर-संक्रामक रोगों, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। एसएचसी-एएएम के लिए, परिचालन दिशानिर्देशों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता - पुरुष के साथ-साथ आशाकर्मियों की नियुक्ति का प्रावधान है। पीएचसी-एएएम के लिए, मानदंडों में चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन की नियुक्ति का प्रावधान है।

एएएम पोर्टल के अनुसार, दिनांक 07.12.2025 की स्थिति के अनुसार ओडिशा में, कुल 7,373 एएएम जिनमें आदिवासी जिलों के 3,343 एएएम और आकांक्षी जिलों के 1,991 एएएम शामिल हैं, संचालित किए गए हैं।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, पीवीटीजी क्षेत्रों सहित जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गंभीर तीव्र कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के लिए सुविधा-आधारित प्रबंधन संबंधी परिचालन दिशानिर्देश, जिनका लक्ष्य दीर्घकालिक कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करना है, जारी किए गए हैं। भारत सरकार ओडिशा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों सहित देशभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की आरएमएनसीएएच+एन कार्यनीति के तहत मातृ एवं शिशु कुपोषण से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण पोषण संबंधी पहल जैसे एनीमिया मुक्त भारत, पोषण पुनर्वास केंद्र, माताओं का पूर्ण स्नेह, स्तनपान प्रबंधन केंद्र और विटामिन ए अनुपूरण कार्यक्रम लागू कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मिशन पोषण 2.0 अभियान भी शुरू किया है, जिसके उद्देश्यों में से एक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया की रोकथाम और व्यापकता को कम करना है।

(घ): ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियाँ (वीएचएसएनसी) स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूकता, योजना और कार्रवाई के लिए ग्राम स्तर पर मंच के रूप में कार्य करती हैं। ये समितियाँ ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) आयोजित करने, कुपोषण और संक्रामक रोगों की शीघ्र पहचान और समुदाय आधारित रोकथाम में सहयोग करने तथा पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, ओडिशा के सीधी संसदीय क्षेत्र सहित पूरे देश में कुल 5,20,292 वीएचएसएनसी का गठन किया गया है।

(ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच का सुदृढ़ीकरण करने के लिए जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए मानदंडों में छूट दी गई है। उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की स्थापना के लिए जनसंख्या मानदंड को घटाकर क्रमशः 3,000, 20,000 और 80,000 कर दिया गया है। प्रति 1,000 जनसंख्या के बजाय प्रति बस्ती एक आशाकर्मी और जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिले में अधिकतम 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की अनुमति है, जबकि मैदानी जिलों में यह संख्या 2 निर्धारित है।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा 15 नवंबर, 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत, विशेष रूप से जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) वाले क्षेत्रों में प्रत्येक जिले में 10 एमएमयू प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) मानदंडों में और छूट प्रदान की गई है। एमओटीए द्वारा निर्मित प्रत्येक बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी) के लिए एक अतिरिक्त एएनएम की नियुक्ति के मानदंडों में भी छूट दी गई है।

एमएमयू पोर्टल के अनुसार, दिनांक 09.12.2025 तक जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएम-जनमन के तहत देश भर में 751 एमएमयू और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत 155 एमएमयू संचालनरत हैं।

*****